

न्यायालय:- श्री आलोक कुमार चतुर्वेदी अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी,
बगहा, प0 चम्पारण।

महिला बगहा थाना कांड संख्या- 50/2021

समान्य पंजी संख्या- 652/21

सरकार बनाम मंटु प्रसाद एवं अन्य

आदेश

20.08.2024 अभिलेख संज्ञान हेतु आज प्रस्तुत किया गया। संज्ञान के बिन्दु पर विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को सुना। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान के उपरांत आरोप पत्र संख्या- 79/2021 दिनांक 18.11.2021 को अन्तर्गत धारा 341,323,448,354,504,509/34 भा.द.वि. में अभियुक्तगण 1. मंटु प्रसाद 2. दिलीप कुमार 3. विकाश कुमार 4. संतोष कुमार 5. मोहन कुमार के विरुद्ध मुल कांड दैनिकी के साथ समर्पित किया प्राथमिकी आरोप पत्र एवं मुल कांड दैनिकी का अवलोकन किया जिससे अभियुक्तगण 1. मंटु प्रसाद 2. दिलीप कुमार 3. विकाश कुमार 4. संतोष कुमार 5. मोहन कुमार के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 341,323,448,354,504,509/34 भा.द.वि. में प्रथम दृष्टया ममाला बनना प्रतित होता हैं।

अतः आरोप पत्र के कर्णिका 11 में वर्णित अभियुक्तगण 1. मंटु प्रसाद 2. दिलीप कुमार 3. विकाश कुमार 4. संतोष कुमार 5. मोहन कुमार के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 341,323,448,354,504,509/34 भा.द.वि. में संज्ञान लिया जाता है। कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि अभियुक्तगण के उपस्थिति हेतु सम्मन जारी करे। दिनांक 23.09.2024 उपस्थिती हेतु नियत।

अलोक कुमार चतुर्वेदी
अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी
बगहा, प0 चम्पारण।